





आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/07/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">एस० ए० आर० पुनरीक्षण 61/2017</p> <p style="text-align: center;">नितीश मानकी बनाम् बिहार स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस० ए० आर० अपील क्रमांक-82-R15/2016-17 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। मूलतः भूमि वापसी वाद संख्या-885/2013-14 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा ग्राम-सिलवाई, खाता नम्बर-03, प्लॉट-118 एवं 119, रकबा-1.62 एकड़ तथा 0.70 एकड़ भूमि के वापसी का दावा अस्वीकृत किया गया था। इस आदेश को अपीलीय न्यायालय द्वारा भी सम्पुष्ट किया गया था। प्रश्नगत वाद में उभयपक्षों की तरफ से सुनवाई की गयी एवं लिखित बहस भी दायर की गयी। आवेदकों का मुख्य दावा प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुमति वाद संख्या-05-R(ii)/1979-80 में पारित आदेश से संबंधित है। उक्त वाद में स्वर्गीय मानकी जगन्नाथ शाही की 03 पत्नीयों के द्वारा भूमि की बिक्री हेतु Rent Suit Deputy Collector के समक्ष आवेदन दायर किया गया था। उक्त वाद में भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् निबंधित केवाला से भूमि का हस्तांतरण किया गया। आवेदक द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्रवाई को अवैध बताया गया है, क्योंकि मुण्डा रीति-रिवाज के अनुसार विधवा महिलाओं को भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आवेदक द्वारा 03 पत्नीयों की वैधता पर भी प्रश्न उठाया है। इस प्रकार यह सम्पूर्ण विषय मुख्यतः विधवा महिलाओं के भूमि हस्तांतरण के संबंध में अधिकार पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि उक्त अनुमति वर्ष-1982 में निर्गत की गयी, जिसके पश्चात् दिनांक-10.06.1982 को निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि का विधिवत् हस्तांतरण किया गया तथा उक्त भूमि पर Factory का निर्माण किया गया। निम्न न्यायालयों द्वारा विषय की सम्पूर्ण विवेचना करते हुये यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि का हस्तांतरण धारा-49 के तहत विधिवत् अनुमति प्राप्त करके वर्ष-1982 में किया जा चुका है। अतः प्रश्नगत मामले में कोई छल-कपट अथवा अन्य विषय</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>सम्मिलित नहीं है। धारा-49(5) के अन्तर्गत उपायुक्त के स्तर से मात्र 12 वर्षों की अवधि में प्रश्नगत् अनुमति पर पुनः समीक्षा की जा सकती है। प्रश्नगत् मामले में आवेदकों के द्वारा भूमि वापसी वाद वर्ष-2013-14 में दायर किया गया, जिसमें वर्ष-1982 में किये गये इस हस्तांतरण में आपत्ति की गयी। विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के न्यायालय में विपक्षी उपस्थित भी नहीं हुये तथा आवेदकों के पक्ष को सुनते हुये आदेश पारित किया गया था। स्पष्टतः 30 वर्षों के अवधि के पश्चात् भूमि हस्तांतरण के अनुमति को चुनौती दिया जाना विधिसम्मत नहीं है। आवेदकों के द्वारा एक तरफ महिलाओं के अधिकार को चुनौती दी गयी, वहीं दूसरी तरफ उन महिलाओं से छल-कपट से भूमि की बिक्री हेतु आवेदन कराने का दावा भी किया गया है। विचारणीय है कि Rent Suit Deputy Collector के न्यायालय में विक्रेता महिलाओं का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत् भूमि की स्वेच्छा से बिक्री करने के संबंध में उल्लेख है। उक्त न्यायालय द्वारा भूमि का स्वतः स्थल निरीक्षण भी किया गया, जिसके पश्चात् भी भूमि के हस्तांतरण हेतु अनुमति संसूचित की गयी। आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि के अनुमति के संबंध में उन्हें जानकारी 2010 में प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। स्पष्टतः आवेदकों को उनके भूमि के संबंध में कोई जानकारी भी नहीं है। आवेदकों के द्वारा एक Title Suit 128/1998 का भी उल्लेख किया गया है, जो बाद में वापस ले लिया गया था। आवेदकों के द्वारा अपने लिखित बहस में प्रश्नगत् भूमि के वर्ष-2006 में सुधीर कुमार एवं रमेश पाण्डेय को बिक्री किये जाने का उल्लेख किया गया है तथा निबंधित केवाला की प्रतियां भी संलग्न की गयी है। यह स्पष्ट है कि धारा-49 के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु दी गयी अनुमति विशिष्ट कार्यों के लिये है तथा उक्त कार्य के लिये प्रश्नगत् भूमि की बिक्री अथवा अन्य कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। आवेदकों के तरफ से प्रस्तुत निबंधित केवाला के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षियों के द्वारा प्रश्नगत् भूमि की बिक्री अन्य व्यक्तियों को की गयी है। वर्णित परिस्थिति में भूमि की वापसी हेतु दायर किये गये इस पुनरीक्षण वाद को मान्य करने का आधार नहीं है, क्योंकि प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण विपक्षियों के साथ विधिवत् अनुमति प्राप्त करते हुये किया गया है।</p>	



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत हस्तांतरण को मात्र 12 वर्षों तक चुनौती दी जा सकती थी, जो इस मामले में नहीं किया गया है। अतः उक्त बिन्दु यह पुनरीक्षण वाद खारिज किया जाता है।</p> <p>आवेदक द्वारा अपने लिखित बहस में कतिपय नये तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षियों के द्वारा वर्ष-2006 में निबंधित केवाला संख्या-9737 एवं 9736 दिनांक-03.07.2006 के द्वारा उक्त भूमि की सुधीर कुमार, पिता-नागेश्वर सिंह, रमेश कुमार, पिता-रामजी पाण्डेय को बिक्री की गयी है। इसी तरह खाता नम्बर-246, प्लॉट नम्बर-121, 122, 124, खेवट नम्बर-02, मौजा-सिलवई में अवस्थित सेवायत्त भूमि की रमेश कुमार को बिक्री की गयी है। विपक्षियों के द्वारा अनुमति से प्राप्त किये गये भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जिसकी विस्तृत जाँच एवं समीक्षा आवश्यक है। अतः उपायुक्त, राँची को निदेशित किया जाता है कि वे प्रश्नगत मामले की विस्तृत जाँच कराते हुये कास्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की एक प्रति उपायुक्त, राँची को प्रेषित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> प्रमण्डलीय आयुक्त</p> <p> प्रमण्डलीय आयुक्त</p>	